कार्यालय अधिशासी अभियंता
प्रा0ख0,लो0नि0वि0,लैंसडौन(गढ़वाल)।

E Mail ID :- eepwdlansdowne@gmail.com. & eepwdlansdowne@rediffmail.com. Phone/Fax : (01386)262260

पत्रांक 1116/21सी0 दिनांक :– /05/2024

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
लैन्सडौन वन प्रभाग
कोटद्वार गढ़वाल।

विषय :– **जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत मैंदोली–परिन्दा–बौंठा मोटर मार्ग का डेरियाखाल तक विस्तार कुल आपेक्षित वन भूमि 1.80 है0 का उत्तराखण्ड लोक निर्माण को प्रत्यावर्तन।**

सन्दर्भः– **अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी देहरादून का कार्यालय पत्रांक 2859 /FP/UK/ROAD/9407/2015 दिनांक 17 जून 2021,**

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के कम में अवगत करना है कि मार्ग की सैद्वान्तिक स्वीकृति भारत सरकार के संदर्भित पत्र के द्वारा प्राप्त है। जिसमें भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय देहरादून का कार्यालय फाईल सं0–8बी0/यू0 सी0पी0 /06/84/2015/एफ0सी0/1063 दिनांक 28.08.2018 के द्वारा चाही गई तीन बिन्दुओं की सूचना व सम्बन्धित प्रमाण–पत्र परिवेश पोर्टल में प्रस्ताव एडिट के विकल्प में दर्शित न होनें के कारण अनुपालना आनलाईन नहीं की जा सकी, जो इस कार्यालय के पत्रांक 2678/21सी0 दिनांक 04–10– 2018 के द्वारा आफलाईन आपके कार्यालय को प्रेषित है। पुनः परिवेश पोर्टल पर मेन्टनेन्स वर्क के चलते पोर्टल पर अपलोड न हो पाने के कारण, अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी के कार्यालय के द्वारा दिये गये निर्देशानुसार, इस कार्यालय के पत्रांक 3349/21सी0 दिनांक 20.10.2022 (संलग्न छाया प्रति) के द्वारा पूर्व ही आपको आफलाईन प्रेषित है, जो ऑनलाइन व ऑफलाइन प्रेषित की जा रही हैं।

अतः अनुरोध है कि मोटर मार्ग के निर्माण हेतु आपेक्षित वन भूमि के प्रत्यावर्तन की विधिवत स्वीकृति प्राप्त किये जानें हेतु सूचना अग्रसारित करनें का कष्ट करें।

भवदीय,

14/05/24

अधिशासी अभियंता,
प्रा0ख0,लो0नि0वि0
लैंसडौन गढ़वाल।

पत्रांक / दिनांक :– /05/2024

प्रतिलिपि :– अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी देहरादून को संदर्भित पत्र के कम में सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :– मुख्य अभियंता (ग0क्षे0) लो0नि0वि0 पौड़ी को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :– वन संरक्षक गढ़वाल वृत्त पौड़ी को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :– अधीक्षण अभियंता 12 वॉ वृत्त, लो0नि0वि0 पौड़ी को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :– स0अ0 प्र0ख0लो0नि0वि0 लैन्सडौन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिशासी अभियंता,
प्रा0ख0,लो0नि0वि0
लैंसडौन गढ़वाल।

Scanned by CamScanner

कार्यालय अधिशासी अभियंता
प्रा0ख0,लो0नि0वि0,लैंसडौन(गढ़वाल)।
E Mail ID :- eepwdlansdowne@gmail.com. & eepwdlansdowne@rediffmail.com. Phone/Fax : (01386)262260

पत्रांक 3349/21C दिनांक :- 20/10/~~2020~~ 2022

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
लैन्सडौन वन प्रभाग
कोटद्वार गढ़वाल।

विषय :– जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत मैंदोली–परिन्दा–बौंठा–डेरियाखाल तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु आपेक्षित 1.80 हे0 वन भूमि का उत्तराखण्ड लोक निर्माण को प्रत्यावर्तन। (FP/UK/ROAD/9407/2015)

सन्दर्भ :– भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय देहरादून का कार्यालय फाईल सं0–8बी0/यू0 सी0पी0 /06/84/2015/एफ0सी0/101 दिनांक 22.4. 2021व अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी देहरादून का कार्यालय पत्रांक 2859 FP/UK/ROAD/9407/2015 दिनांक 17 जून 2021

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत करना है कि मार्ग की सैद्वान्तिक स्वीकृति भारत सरकार की पत्र सं0 8बी0/यू0 सी0पी0 /06/84/2015/एफ0सी0/1451 दिनांक 09–12–2016 के द्वारा प्राप्त है। भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय देहरादून का कार्यालय फाईल सं0–8बी0/यू0 सी0पी0 /06/84/2015/एफ0सी0 /1063 दिनांक 28.08.2018 के द्वारा तीन बिन्दुओं की सूचना व सम्बन्धित प्रमाण–पत्र इस कार्यालय के पत्रांक 2678/21सी0 दिनांक 04–10– 2018(संलग्न छाया प्रति) के द्वारा पूर्व ही आपको प्रेषित है, जो पुनः निम्नानुसार तैयार कर ऑनलाइन व ऑफलाइन प्रेषित किये जा रहें हैं।

क्रम	सूचना	आख्या
1.	बिन्दु संख्या 01के जवाब में प्रस्ताव के पृष्ठ सख्या 59G पर CA scheme दी गई है, जिसके विवरणानुसार प्रतिपूरक वृक्षारोपण की अनुमानित धनराशी रू0 5,14000/– बताई गई है, जबकि नोडल ऑफिसर, उत्तराखण्ड के पत्र दिनांक 28. 07.2018 के अनुसार कैम्पा कोष में 10 वर्षो के लिए CA की लागत 9,11,995/–रू0 जमा किये गये हैं। अतः राज्य सरकार 9,11,995/–रू0 की CA scheme की मूल प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करेगी तथा इसे ऑनलाइन वैब पोर्टल पर अपलोड करें।	बिन्दु का निस्तारण आपके कार्यालय के द्वारा किया जाना है।

Scanned by CamScanner

2	NPV calculation sheet में NPV rate में रू0 34,42,500/— लिया है, परन्तु NPV rate रूपये 15,21,000/— जमा किया गया है। अतः राज्य सरकार संशोधित NPV calculation sheet इस कार्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करे।	भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,नई दिल्ली के आदेश संख्या 5—3/2007—एफ0सी0 दिनांक 05. 02.2009 के अनुसार हरियाली का घनत्व 10—40 प्रतिशत NPV दर 8.45लाख प्रति हे0 की दर से 1.800हे0 की धनराशी रू0—15,21,000—00 मात्र है, जो सही है। स्पष्टीकरण पूर्व ही इस कार्यालय के उक्त पत्रांक के द्वारा प्रेषित है।
3.	शर्त संख्या 06 के जवाब में, राज्य सरकार geo referenced digital map of CA की मूल प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करेगी।	Geo referenced digital map of CA की मूल प्रति 4 प्रतियों में इस कार्यालय के **पत्रांक 1222/21सी0 दिनांक 24—04— 2018** के द्वारा पूर्व ही आपको प्रेषित है,

इसके अतिरिक्त क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना में क्षेत्र degraded forest land अंकित है, जो भू—राजस्व अधिनियम के अनुसार भूमि की श्रेणी 9 (3)ग के अन्तर्गत अभिलेखों में झाड़ी वाले जंगल के रूप में दर्ज होती है, एवं इस श्रेणी की भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण किये जानें हेतु उपयुक्त मानी गई है।

अतः अनुरोध है कि मोटर मार्ग के निर्माण हेतु आपेक्षित वन भूमि के प्रत्यावर्तन की विधिवत स्वीकृति प्राप्त किये जानें हेतु सूचना अग्रसारित करनें का कष्ट करें।

प्रभागीय वनाधिकारी
लैन्सडौन वन प्रभाग
कोटद्वार (गढवाल)

Recieved
02/11/2022

भवदीय,

अधिशासी अभियंता,
प्रा0ख0,लो0नि0वि0
लैंसडौन गढ़वाल।

पत्रांक / दिनांक :— /09/2020

प्रतिलिपिः— अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी देहरादून को संदर्भित पत्र के कम में सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः— मुख्य अभियंता (ग0क्षे0) लो0नि0वि0 पौड़ी को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः— वन संरक्षक शिवालिक वृत्त देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :—अधीक्षण अभियंता 12 वॉ वृत्त, लो0नि0वि0 पौड़ी को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः— स0अ0 प्र0ख0लो0नि0वि0 लैन्सडौन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुप्रेषित।

अधिशासी अभियंता,
प्रा0ख0,लो0नि0वि0
लैंसडौन गढ़वाल।

Scanned by CamScanner

	FP/UK/ROAD/1252/2011 CHAILUSAIN SILOGI GHATTUGAD MOTOR ROAD	ROAD12522011059	11312522011059	15 Jul 2011	CA: 3548794/-, Addl CA: 0/- PCA: 0/-, CAT: 0/- Safety Zone: 0/-, Addl PA: 0/- NPV: 0/-, Other Charges: 0/- Other Charges1: 0/- Other Charges2: 0/- Other Charges3: 0/- Total: 3548794/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On: 18 Sep 2017 Bank Name: Corporation Bank Mode of Payment: Corporation Bank (Challan) Challan Generated On: 18 Sep 2017 Transaction Date: 25 Sep 2017	Demand Letter Generated Challan
6	FP/UK/ROAD/9407/2015 Extension of Mandoli-parinda-bountha motor road upto deriyakhal	ROAD94072015388	11394072015388	09 Dec 2016	CA: 911995/-, Addl CA: 0/- PCA: 0/-, CAT: 0/- Safety Zone: 0/-, Addl PA: 0/- NPV: 1521000/-, Other Charges: 0/- Other Charges1: 0/- Other Charges2: 0/- Other Charges3: 0/- Total: 2432995/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On: 13 Sep 2017 Bank Name: Corporation Bank Mode of Payment: Corporation Bank (Challan) Challan Generated On: 13 Sep 2017 Transaction Date: 25 Sep 2017	Demand Letter Generated Challan

© Content Owned, Updated and Maintained by Ministry of Environment,Forest and Climate Change, Government of India

For any Technical support, Please Contact
Environment,Forest and Climate Change Informatics Division (EFCCID),NIC,New Delhi.
monitoring-fc(at)nic(dot)in

Scanned by CamScanner

UTTARAKHAND

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रा0खण्ड,लो0नि0वि0,लैन्सडौन(गढ़वाल)।

उत्तराखण्ड शासन

E Mail ID:- eepwdlansdowne@gmail.com. & eepwdlansdowne@rediffmail.com. Phone/Fax : (01386)262260

पत्रांक 2678 /21सी0 दि0 04/10/18

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
लैन्सडौन वन प्रभाग,
कोटद्वार।

विषय :– **जनपद पौड़ी गढ़वाल में मैन्दोली – परिन्दा – वौठा मोटर मार्ग का विस्तार डेरियाखाल तक के निर्माण हेतु 1.80 हे0 वन भूमि का का उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।**

सदंर्भ :– भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून की पत्र सं0 8बी/U.C.P./06/84/2015/F.C/1063 दि0 28.08.2018 एवं अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण देहरादून की पत्र सं0 635./FP/UK/ROAD/ 9407/2015 दि0 04. सितम्बर 2018

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक नोडल अधिकारी देहरादून की संदर्भित पत्र का सदंर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो इस कार्यालय सहित त्रुटिवश आपके कार्यालय की वजाय प्रभागीय वनाधिकारी गढ़वाल वन प्रभाग पौड़ी को प्रति प्रेषित है। पत्र के साथ भारत सरकार क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून की संदर्भित पत्र को संलग्न करते हुए भारत सरकार स्तर से विषयक प्रकरण में वांछित 3 बिन्दुओं पर आख्या/ सूचना उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया है। (पत्र की छाया प्रति संलग्न है) बिन्दुवार मांगी गई सूचना के सम्बंध में आख्या निम्नवत है :–

बिन्दु सं0 :–1 बिन्दु सं0 (1) के अनुसार प्रस्ताव के पृष्ठ सं0 59 जी पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना में योजना की लागत रु0 5,14000.00 दर्शाई गई है। जिसके विरूद्व वन विभाग स्तर से क्षतिपूरक वृक्षारोपण की नई दरों पर योजना की लागत रु0 911995.00 की मांग की जाने पर 10 वर्षो तक के रख –रखाव हेतु प्रस्तावक विभाग द्वारा वन विभाग के पक्ष में वांछित धनराशि को जमा कर दिया गया है। पत्र के अनुसार क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना की लागत रु0 911995.00 की योजना बनाकर प्रस्ताव में संलग्न होनी थी। योजना आपके स्तर से तैयार कर कृपया नोडल अधिकारी देहरादून को प्रेषित करते हुए एक प्रति हस्ताक्षरोपरान्त इस कार्यालय को उपलब्ध कराने की कृपा करें ताकि नई दरों पर गठित योजना को वैब पोर्टल पर अपलोड किया जा सकें।

बिन्दु सं0:–2 बिन्दु सं0 (2) के अनुसार N.P.V. आंकलन सीट में (छाया प्रति संलग्न) प्रस्ताव के पृष्ठ सं0 85 पर N.P.V. की दर हरियाली के घनत्व 10 से 40 प्रतिशत के अनुसार 8.50 लाख की दर से रु0 3442500.00 आंकलित की गई है जो कि 1.80 हे0 के अनुसार त्रुटिवश गलत टंकित हुआ है। जबकि 1.80 हे0 का रु0 8.50 लाख की दर से रु0 15,30000.00 होना चाहिए था।

उपरोक्त के क्रम में कृपया अपने कार्यालय की पत्र सं0 1664/12–1 दि0 30.12.2016 का सदंर्भ ग्रहण करने की कृपा करें, जिसमें बिन्दु सं0 (2) के अनुसार N.P.V. धनराशि रु0 8.45 लाख की दर से 1.80 हे0 × 845000.00 = रु0 1521000.00 मात्र का डिमान्ड नोट प्रस्तावक विभाग को भेजा गया था। उक्त के क्रम में प्रस्तावक विभाग द्वारा N.P.V. धनराशि रु0 1521000.00 वन विभाग के पक्ष में जमा की गई है।

क्रमश:–2

Scanned by CamScanner

कृपया अवगत हो कि यदि हरियाली के घनत्व 10 से 40 प्रतिशत में N.P.V. की वर्तमान दर 845000.00 प्रति हेक्टर प्रचलित है तो N.P.V. का आंकलन रु0 1521000.00 ही होता है। कृपया तद्नुसार नोडल अधिकारी देहरादून को वस्तुस्थिति से अवगत कराने की कृपा करें। पुनः N.P.V. की धनराशि की शुद्व प्रविष्टि से सम्बन्धित आकलन संलग्न किया जा रहा है।

बिन्दु सं0:–3 बिन्दु सं0 (3) में उल्लेख किया गया है कि शर्त सं0 06 के जबाव में क्षतिपूरक वृक्षारोपण जियोरिफ्रेन्ड व डिजिटल मैप की मूल प्रति उपलब्ध नही कराई गई है जबकि इस कार्यालय की पत्र सं0 1222/21सी0 दि0 24.04.2018 द्वारा आपके कार्यालय को क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल के जियोरिफ्रेन्ड व डिजिटल मानचित्रो की मूल प्रतियॉ 4–4 प्रतियों में संलग्न कर प्रेषित की गई थी, जिसका उल्लेख वर्णित पत्र के बिन्दु सं0 (6) में किया गया है। पत्र की छाया प्रति संलग्न है।

अतः अनुरोध है कि भारत सरकार क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून की सदंर्भित पत्र दि0 28.08.2018 में उल्लिखित (3) बिन्दुओं की सूचना तद्नुसार अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण कार्यालय देहरादून को उपलब्ध कराने की कृपा करें।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार वांछित सूचनाओं से सम्बन्धित पत्रों की छाया प्रति।

भवदीय

(प्रवीण वहुखण्डी)
अधिशासी अभियंता
प्रा0ख0,लो0नि0वि0
लैन्सडौन।

पत्रांक 2618 /21सी0 दि0 4-10-18

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सदंर्भित पत्र के अनुपालन में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी देहरादून।
2. अधीक्षण अभियंता, 12 वॉ वृत्त,लो0नि0वि0 पौड़ी।
3. जिलाधिकारी गढवाल।
4. प्रभागीय वनाधिकारी गढ़वाल वन प्रभाग पौड़ी।
5. सहायक अभियंता (उपरोक्त मार्ग से सम्बन्धित) प्रा0ख0,लो0नि0वि0 लैन्सडौन को सूचनार्थ एवं इस आशय के साथ कि कृपया प्रभागीय वनाधिकारी लैन्सडौंन वन प्रभाग कोटद्वार के कार्यालय में सम्बन्धित कर्मचारी को सम्पर्क करने हेतु निर्देशित कर क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना प्राप्त करनें के पश्चात खण्ड में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
6. खण्डीय अमीन प्रा0ख0,लो0नि0वि0 लैन्सडौन।

(प्रवीण वहुखण्डी)
अधिशासी अभियंता
प्रा0ख0,लो0नि0वि0
लैन्सडौन

Scanned by CamScanner

प्रारुप–50

कार्य का नाम :– जनपद पौड़ी गढ़वाल में विधानसभा क्षेत्र लैन्सडौन के अन्तर्गत मैन्दोली–परिन्दा–बौठा मोटर मार्ग का विस्तार डेरियाखाल तक निर्माण हेतु 1.800हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लो0नि0वि0 को प्रत्यावर्तन।

एन0पी0वी0 की धनराशि का आंकलन

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के आदेश संख्या 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05–02–2009 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार आवेदित वन भूमि हेतु एन0पी0वी0 की देयता निम्नानुसार है :–

1. ईको–क्लास श्रेणी	Vth
2. हरियाली का घनत्व	10–40प्रतिशत
3. एन0पी0वी0 की दर प्रति हे0	8.45लाख।
4. आवेदित वन भूमि का क्षेत्रफल	1.800हे0
5. कुल देय एन0पी0वी0 की धनराशि	1521000.00

प्रभागीय वनाधिकारी

Scanned by CamScanner

प्रारुप–50

कार्य का नाम :– जनपद पौड़ी गढ़वाल में विधानसभा क्षेत्र लैन्सडौन के अन्तर्गत मैन्दोली–परिन्दा–बौठा मोटर मार्ग का विस्तार डेरियाखाल तक निर्माण हेतु 1.800हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लो0नि0वि0 को प्रत्यावर्तन।

एन0पी0वी0 की धनराशि का आंकलन

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के आदेश संख्या 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05–02–2009 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार आवेदित वन भूमि हेतु एन0पी0वी0 की देयता निम्नानुसार है :–

1. ईको–क्लास श्रेणी	Vth
2. हरियाली का घनत्व	10–40प्रतिशत
3. एन0पी0वी0 की दर प्रति हे0	8.50लाख।
4. आवेदित वन भूमि का क्षेत्रफल	1.800हे0
5. कुल देय एन0पी0वी0 की धनराशि	3442500.00

वनक्षेत्राधिकारी
[illegible] रेंज

उप प्रभागीय वनाधिकारी
[illegible]

प्रभागीय वनाधिकारी

Scanned by CamScanner

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रा0ख0,लो0नि0वि0,लैन्सडौन(गढ़वाल)।

E Mail ID:- eepwdlansdowne1@gmail.com. / eepwdlansdowne@rediffmail.com. / eepdlns.pwduk@gov.in
Phone/Fax : (01386) 262260

पत्रांक 1222/21सी0 दिनांक :- 24/04/2018

सेवा मे,

प्रभागीय वनाधिकारी,
लैन्सडौन वन प्रभाग
कोटद्वार।

विषयः— जनपद पौड़ी गढ़वाल में मैन्दोली—परिन्दा—बौठा मोटर मार्ग का विस्तार डेरियाखाल तक के निर्माण हेतु 1.800 हे0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ :— भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून की पत्र सं0 8बी/यू0सी0पी0/06/84/2015/एफ0सी0/1451 दिनांक 09.12.2016, अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण देहरादून की पत्रांक 1657/एफ0पी0/यू0के0/रोड/9407/2015 दि0 09.12.2016 एवं पत्रांक 2918/एफ0पी0/यू0के0/रोड/9407/2015 दि0 22.02.2018 ।

महोदय,

कृपया भारत सरकार क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून की सन्दर्भित पत्र का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। भारत सरकार की सन्दर्भित पत्र द्वारा विषयक ON LINE वन भूमि प्रकरण में विभिन्न अधिरोपित शर्तो के अधीन सैद्वान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है। अधिरोपित शर्तो की अनुपालन आख्या ON LINE UP LOAD करते हुए हार्ड काफी में निम्न प्रकार प्रेषित की जा रही है।

1. शर्त सं0 1 के अनुपालन में अवगत करना है कि विषयक वन भूमि प्रकरण में प्रत्यावर्तित होने वाली 1.800हे0 वन भूमि के दुगने अवनत क्षेत्रफल अर्थात 1.800 x 2 = 3.600हे0 सिविल भूमि में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ग्राम सुराड़ी सिविल सोयम भूमि चयनित की गई थी। राजस्व विभाग के अनुसार ग्राम सुराड़ी पट्टी डबरालस्यू तहसील लैन्सडौन की खाता सं0 73 खसरा न0 4370कुल रकवा 39.437हे0 मध्ये 3.600हे0 जो भूमि की श्रेणी 9(3) ग चारागाह (गौचर) में दर्ज अभिलेख है। गौचर श्रेणी की भूमि का नामान्तरण क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के पक्ष में नियमानुसार नही किया जा सकता।

उपरोक्त के क्रम राजस्व विभाग से क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु नया स्थल चयन करने के लिए अनुरोध किया गया। जिसके कम में राजस्व विभाग द्वारा ग्राम ढाक लगा तिमलसैण पट्टी—बिचला बदलपुर, तहसील—लैन्सडौन की सिविल सोयम भूमि NON ZA खाता खतौनी सं0 02 खसरा न0 128 कुल रकवा 66.712हे0 मध्ये 3.600हे0 भूमि की श्रेणी 9(3)ड़ को चयनित कर सूचित की गई। प्रस्तावित क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल का राजस्व विभाग, वन विभाग व प्रस्तावक विभाग के प्रतिनिधियों द्वारा दि0 28.05.2017 में किया गया।

पेज—2

Scanned by CamScanner

चयनित भूमि का नामान्तरण जिलाधिकारी गढ़वाल महोदय की कार्यालय आदेश सं0 2527/26–प्रशा0अधि0 (सा0प्रशा0)/2017 दि0 14.09.2017 द्वारा वन विभाग के पक्ष मे किए जाने के आदेश पारित किए गये। प्रभागीय वनाधिकारी गढ़वाल वन प्रभाग पौड़ी की पत्र सं0 4771/12–1 दि0 20.06.2017 द्वारा खण्ड को अवगत कराया गया कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित स्थल (ए0एन0आर0) सहायतित प्राकृतिक पुनरोत्पादन हेतु उपयुक्त है, परन्तु क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिए उपयुक्त नही है।

पुनः प्रत्यावर्तित होने वाली 1.800हे0 भूमि के दुगने क्षेत्रफल में वृक्षारोपण हेतु नया स्थल चयन करने हेतु दि0 28.06.2017 में राजस्व विभाग से अनुरोध किया गया। राजस्व विभाग द्वारा दिनांक 06.10.2017 में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ग्राम दाबड़ पट्टी बिचला ढागू–3 के खाता खतौनी सं0 19 खसरा न0 4809रकवा 36.00हे0मध्ये 3.600हे0 उत्तराखण्ड सरकार NON ZA भूमि की श्रेणी 9(3) (ग) अन्य प्रकार के वृक्ष एवं झाड़ी दर्ज अभिलेख है को प्रस्तावित कर सूचित किया गया। चयनित भूमि का राजस्व विभाग, वन विभाग व लो0नि0वि0, के प्रतिनिधियों द्वारा दि0 03.08.2017 में संयुक्त निरीक्षण किया गया। क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल के उपयुक्त पाये जाने पर जिलाधिकारी गढ़वाल महोदय की आदेश सं0 493/26–प्रशा0अधि0(सा0प्रशा0)/2017 दिनांक 20.12.2017 द्वारा पूर्व आदेश दिनांक 14.09.2017 को खण्डित करते हुए ग्राम दाबड़ पट्टी बिचला ढांगू तहसील लैन्सडौन के वर्तमान खाता खतौनी सं0 19 के खसरा न0 4809 रकवा 36.00हे0 मध्ये 3.60 हे0 उत्तराखण्ड सरकार, भूमि की श्रेणी 9(3) (ग) अन्य प्रकार के वृक्ष झाड़ी दर्ज अभिलेख को वन विभाग के पक्ष में नामान्तरण किए जाने के आदेश पारित किए गये। वन विभाग के पक्ष में नामान्तरित सिविल सोयम भूमि का अमल–दरामद तहसील कार्यालय स्थित रक्षित वही आर–6 व राजस्व उपनिरीक्षक पट्टी बिचला ढांगू तहसील लैन्सडौन की NON ZA खाता खतौनी में दर्ज करने के पश्चात तहसीलदार लैन्सडौन की पत्र सं0 73/र0का02017–18 अमल–दरामद दि0 10.01.2018 द्वारा खण्ड को सूचित किया गया। NON ZA खतौनी व जिलाधिकारी गढ़वाल महोदय के आदेश की प्रति संलग्न है।

2. शर्त सं0 2 के अनुपालन में एन0पी0वी0 (शुद्व वर्तमान मूल्य) की धनराशि रू0 1521000.00 का चालान जनरेट कर चालान द्वारा वन विभाग के पक्ष में कैम्पा कोष में जमा की जा चुकी है। चालान की प्रति संलग्न है।

3. शर्त सं0 3 के अनुपालन में शुद्व वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की दर में यदि भविष्य में कोई बढ़ोत्तरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण बढ़ी हुई धनराशि को वन विभाग के पक्ष में जमा कराएगा। इस आशय का प्रमाण पत्र संलग्न है।

4. शर्त सं0 4 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा समस्त निधियों में जमा की जाने वाली धनराशि को चालान द्वारा कैम्पा कोष में जमा की गई है। चालान की प्रति संलग्न है।

पेज–3

Scanned by CamScanner

शर्त सं0 5 के अनुपालन में जहां –जहां सम्भव हो मार्ग के दोनों किनारों तथा CENTRAL VERGE पर प्रयोक्ता अभिकरण वन विभाग की देख–रेख में STRIP PLANTATION की जाएगी। इस आशय की वचन वद्वता से सम्बन्धित प्रमाण पत्र संलग्न है।

6. शर्त सं0 6 के अनुपालन में पुनरीक्षित चयनित वृक्षारोपण स्थल का GEO-REFERENCED व DIGITAL MAP सभी सम्बन्धित अधिकारियों से हस्ताक्षरोपरान्त संलग्न है।

7. प्रदत्त सैद्वान्तिक स्वीकृति पत्र में अन्य सभी अधिरोपित शर्तो का पूर्णतया पालन किया जाएगा तथा सैद्वान्तिक स्वीकृति पत्र में अधिरोपित शर्त के अनुसार वन विभाग के पक्ष में प्रभागीय वनाधिकारी गढ़वाल वन प्रभाग कोटद्वार से सूचित धनराशि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वर्तमान दरों पर रू0 911995.00, एन0पी0वी0 मद में धनराशि रू0 1521000.00 कुल धनराशि रू0 2432995.00 को चालान द्वारा कैम्पा कोष/ वन विभाग के पक्ष में जमा करा दिया गया है।

अतः भारत सरकार क्षेत्रीय कार्यालय के सन्दर्भित पत्र द्वारा प्रदत्त सैद्वान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो की अनुपालन आख्या वांछित प्रमाण–पत्रों व सी0डी0 सहित हार्ड कापी में इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जा रही है कि कृपया अधिरोपित शर्तो की आख्या नोडल अधिकारी देहरादून को अग्रेसित करते हुए प्रकरण पर विधिवत स्वीकृति प्रदान किए जाने हेतु अनुरोध करने की कृपा करें।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार समस्त प्रमाण पत्र
वांछित मानचित्र 4–4 प्रतियों
में तथा सी0डी0।

भवदीय,

(आशुतोष कुमार)
अधिशासी अभियन्ता,
प्रा0खण्ड,लो0नि0वि0,
लैन्सडौन गढ़वाल।

पत्रांक 1222/21सी0 दिनांक :– 24/04/2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सन्दर्भित पत्रों के अनुपालन में सूचनार्थ प्रेषित :–
1. प्रमुख सचिव वन,उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
2. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, देहरादून।
3. प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,(लेखा वर्ग) उत्तराखण्ड, लोक निर्माण विभाग देहरादून।
4. अधीक्षण अभियन्ता,12 वॉ वृत्त,लो0नि0वि0,पौड़ी।
5. जिलाधिकारी,गढ़वाल।
6. सहायक अभियन्ता,तृतीय,प्रा0खण्ड,लो0नि0वि0,लैन्सडौन को इस निर्देश के साथ कि वे सैद्वान्तिक शर्तो की अनुपालन आख्या ON LINE UP LOAD करवाना सुनिश्चित करें।
7. खण्डीय अमीन प्रा0खण्ड,लो0नि0वि0,लैन्सडौन को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(आशुतोष कुमार)
अधिशासी अभियन्ता,
प्रा0खण्ड,लो0नि0वि0,
लैन्सडौन गढ़वाल।

23/04/18

M.P.(Lettrs)-537

Scanned by CamScanner